



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1937 (श10)
(सं0 पटना 949) पटना, शुक्रवार, 21 अगस्त 2015

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अधिसूचना

20 अगस्त 2015

सं0 अ0सं0क0-04-11-हज-05/2015-119—हज समिति अधिनियम, 2002(2002 का 35) की धारा-18 की उप-धारा(1) के अन्तर्गत गठित बिहार राज्य हज समिति के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन हेतु अधिनियम की धारा-21 की उप- धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने दिनांक 11.08.2015 को समिति के सदस्यों की बैठक आहूत की गई, जिसमें सर्व सम्मति से सदस्य, जनाब हाजी इलियास हुसैन उर्फ सोने बाबू, सचिव, हाजी शेख अब्दुल गफ्फार महिला कॉलेज, दानापुर, पटना को बिहार राज्य हज समिति के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया।

2. हज समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्षों का या उनके पदावधि, जो भी पहले हो, के लिए होगा।
3. हज समिति अधिनियम 2002 की धारा-21 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत विहित प्रावधान के आलोक में इसे बिहार गजट की असाधारण अंक में प्रकाशित किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 949-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>